न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 131/2020

प्रार्थी :–जस्साराम पुत्र जेठाराम मेगवाल निवासी लूणावास खारा तहसील लूणी

बनाम

विप्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

अधिवक्तागण :– 1 श्री भूपेन्द्र गहलोत प्रार्थी वकील

2 सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक :– 21.04.2022

प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत के पास कटान रास्ता आया हुआ है, इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 979/672 मौजा मण्डली में आवागमन करने हेतु विप्रार्थी सरकार के खाता के खसरा नंबर 669 व 672 मौजा मण्डली में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल में मार्क ए से बी दर्शाये है उससे विप्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा न0 669 व 672 में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट अ में बरंग लाल रास्ता 30 फिट चौडा रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2020/ 166 दिनांक 27.01.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मंडली में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर [illegible] नाम खातेदारी भूमि है जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर [illegible] व 672 भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है, में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की [illegible] प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी0एल0सी0 द[illegible]5470/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 3–13 बीघा भूमि बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

प्रार्थी वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा मण्डली के खेत खसरा न0 979/672 व नजरी नक्शा रिपोर्ट में बताए अनुसार कुल रकबा 3–13 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा मण्डली के खसरा संख्या 979/672 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी सरकार के खाते से नया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक जो प्रार्थी के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्राविधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा न0 979/672 मौजा मण्डली मे पटवार हल्का मण्डली तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 669 रकबा मे से 1–13 बीघा व खसरा नम्बर 672 रकबा मे से 2–00 बीघा भूमि में से नया मार्ग तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाये माफिक भूमि रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट 25470/ – प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए कुल रकबा 3–13 बीघा भूमि की राशि 92,970/रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,85,940/– रूपये तहसीलदार कल्याणपुर राजकोष में भुगतान करे, राशि जमा की रसीद प्राप्त होने पर तहसीलदार कल्याणपुर नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:11:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 21.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा